संख्या-3-ई.एम./2004-का-4-2006

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ:: दिनांक:: 06 जनवरी, 2006

विषयः- राज्य कर्मचारियों/शिक्षकों द्वारा माह नवम्बर, 2005 में की गयी हड़ताल के संबंध में ।

महोदय,

राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों द्वारा दिनांक 18.11.2005 से दिनांक 24.11.2005 की अवधि में की गयी हड़ताल के संबंध में, शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:-

(1) राज्य कर्मचारियों की उक्त हड़ताल अवधि को उनके अवकाश खातें में देय उपार्जित अवकाश से समायोजित करते हुए, उतनी अवधि का अवकाश वेतन उन्हें प्रदान कर दिया जाय। यदि किसी कर्मचारी के खाते में सम्प्रति उपार्जित अवकाश शेष नहीं है तो शेष अवधि का वेतन, भविष्य में अर्जित होने वाले उपार्जित अवकाश से समायोजित करते हुए अग्रिम के रूप में प्रदान कर दिया जाय। संगत अवकाश नियमों को इस विशिष्ट प्रकरण हेतु शिथिल माना जायेगा तथा हड़ताल अवधि को सेवा में व्यवधान नहीं माना जायेगा।

(2) इस मध्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में यदि उपार्जित अवकाश शेष नहीं है तो उनके प्रकरण पृथक रूप से शासन को संदर्भित किये जांय।

(3) हड़ताल में सम्मिलित शिक्षकों के संबंध में आदेश शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-(2)42/दस/06, दिनांक 06.1.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
सचिव।

संख्या-3-ई.एम./2004-(1)का-4-2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग/ बेसिक शिक्षा विभाग को शिक्षकों के संबंध में शासनादेश निर्गत करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार , उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5. वित्त(सामान्य) अनुभाग-2

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।